मध्य प्रदेश बन्दी छुट्टी नियम 1989

1. नियम 1
2. नियम 2
3. नियम 3
4. नियम 4
5. नियम 5
6. नियम 6
7. नियम 7
8. नियम 8
9. नियम 9
10. नियम 10
11. नियम 11
12. नियम 12
13. नियम 13
14. नियम 14
15. नियम 15
16. नियम 16
17. नियम 17
18. नियम 18
19. नियम 19
    - प्रारूप क
    - प्रारूप ख
    - प्रारूप ग
    - प्रारूप घ
    - प्रारूप ड

- प्रारूप च

मध्य प्रदेश बन्दी छुट्टी नियम 1989

क्र. 12-2-82-तीन-जेल-भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 1990 मध्य प्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, 1900(1900 का सं. 3) की धारा 31 -ड. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ- इन नियमो का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 है ।

नियम 2. ये नियम "मध्य प्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

नियम 3. लागू होना- ये नियम मध्य प्रदेश में न्यायालयों द्वारा दण्डादिष्ट किए गए तथा मध्यप्रदेश की जेलों में दण्ड भुगत रहे बंदियों पर लागू होंगे ।

नियम 4. छुट्टी की शर्ते- अधिनियम की धारा 31- क की उपधारा (एक) के अधीन बंदियों को निम्नलिखित शर्तो पर छुट्टी मंजूर की जाएगी, अर्थात:-

(क) वह अधिनियम की धारा 31- क में अधिकथित की गई शर्तो को पूरा करता हो ।

(ख) उसने छुट्टी के लिए आवेदन करने की तारीख और ऐसी छुट्टी का आदेश प्राप्त होने की तारीख के बीच जेल में कोई भी अपराध न किया हो,

(ग) छोड़ने वाले प्राधिकारी का समाधान हो जाना चाहिए कि छुट्टी लोकहित का अपाय किए बिना मंजूर की जा सकती है,

(घ) वह छोडने वाले प्राधिकारी को उस स्थान या उन स्थानों की जानकारी लिखित मे दें जहां वह अपनी छुट्टी की कालावधि के दौरान जाने का आशय रखता हो और यह वचन दे कि छोडने वाले प्राधिकारी की इस निमित्त पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना ऐसी कालावधि के दौरान किसी भी अन्य स्थान पर नहीं जाएगा, और

(ड) यदि छोड़ने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रतिभूति की मांग की जाए तो उसे छोड़ने वाले प्राधिकारी के समाधान पर्यन्त ऐसी प्रतिभूति देना चाहिए ।

[1]**{नियम 4क. छुट्टी की पात्रता-** बन्दी अधिनियम, 1900 की धारा 31-क तथा 31- ख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य की जेलों में सजा भुगत रहे बन्दियों के लिए छुट्टी हेतु पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार होगा -

[1]{(1) बन्दी, जिसे कम से कम तीन वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डित किया गया हो, ओर जिसने सजा का आधा भाग या कम से कम दो वर्ष की कालावधि, परिहार को सम्मिलित करते हुए, इनमें से जो भी कम हो, भुगत ली हो, सामान्य एवं आपात छुट्टी के लिए पात्र होगा ।

(2) बन्दी ने उसकी विचाराधीन अवधि के दौरान जेल में आचरण अच्छा रखा हो और किसी अन्य जेल अपराध में या किसी अन्य दण्डनीय अपराध में दण्डित न हुआ हो ।

(3) वर्ष की कालावधि के दौरान जिसमें बन्दी में छुट्टी हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, आचरण अच्छा रहा है ।

1. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-5-2009-तीन-जेल 335 दि. 5-2-2009 द्वारा नियम 4क, 4ख, 4ग एवं नियम 4घ अन्तःस्थापित । म. प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनांक 13-3-2009 को प्रकाशित ।
2. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-56-2011-तीन-जेल दि. 23-5-2012 द्वारा प्रतिस्थापित । म. प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनाक 8-6-2012 को प्रकाशित ।

नियम 4ख. छुट्टी हेतु अपात्र बन्दियों के वर्ग- (1) बन्दी, जो उनकी सजा भुगतने के दौरान चेतावनी के दण्ड से भिन्न जेल अपराध किसी अन्य दण्ड से दण्डित किए गए हैं और ऐसा दण्ड छुट्टी के लिए उसका आवेदन करने के दिनांक से तीन वर्ष से पूर्व उस पर अधिरोपित न किया गया हो ।

(2) ऐसा बन्दी, जिसे जेल नियम के नियम 724 के अधीन एक वर्ष स अनधिक के लिए छुट्टी के विशेषाधिकार के स्थगन हेतु दण्डित किया गया है, तो ऐसे आदेश की कालावधि पूरी हो जाने तक छुट्टी के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) यदि किसी बन्दी की दशा में जो पूर्व में दिए गए छुट्टी के दौरान फरार हो जाने के कारण किसी भी सजा से दण्डित किया गया हो तो ऐसा बन्दी अपनी सजा की शेष अवधि क दौरान सामान्य छुट्टी के लिए पात्र नही होगा ।

[1]{(4) ऐसा बन्दी, जिसका किसी आपराधिक प्रकरण जिसमें किसी भी प्रकार की फरारी के मामले सम्मिलित हैं, अभियोजित किया जा रहा है और उस मामले में प्रतिभूति पर निर्मुक्त हो जाने के बावजूद किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो ।}

[1]**{नियम 4ग. सामान्य छुट्टी की अवधि-** कलैण्डर वर्ष (1जनवरी से 31 दिसम्बर तक) के दौरान बंदी को अधिकतम 42 दिवस की छुट्टी की पात्रता होगी । छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी, उस वर्ष में, निम्नलिखित रीति में, समस्त तीनों भाग की छुट्टी मंजूर कर सकेगा-

(1) सामान्य छुट्टी भाग एक - माह जनवरी से माह अप्रैल तक - चौदह दिवस

(2) सामान्य छुट्टी भाग दो - माह मई से माह अगस्त तक - चौदह दिवस

(3) सामान्य छुट्टी भाग तीन - माह सितम्बर से माह दिसम्बर तक - चौदह दिवस

टिप्पणी -

(1) सामान्य छुट्टी के दो निम्नतर भाग स्वीकृत किए जाने के बीच कम से कम तीन माह का अन्तराल रखा जाना अनिवार्य होगा ।
(2) छुट्टी के प्रत्येक भाग की अवधि में घर जाने एवं जेल में वापस आने की यात्रा के समय के रूप में दो अतिरिक्त दिन सम्मिलित होंगे।
(3) बंदी द्वारा भुगते गए कुल दण्डादेश की अवधि की गणना करते समय छुट्टी की कालावधि और छुट्टी के प्रत्येक भाग हेतु दो दिनों का यात्रा समय सम्मिलित किया जाएगा ।

नियम 4घ. आपात छुट्टी की अवधि- सामान्य छुट्टी के अतिरिक्त, दोषसिद्ध बन्दी को जेल में उसके प्रवेश के दिनांक से निम्नानुसार छुट्टी की कालावधि की पात्रता होगी-

(1) विवाह हेतु आपात छुट्टी - बन्दी को स्वयं के विवाह, उसके/उसकी पुत्र/पुत्री, बहन भाई के विवाह के लिए 15 दिवस की कालावधि की छुट्टी की पात्रता होगी ।

(2) मृत्यु की दशा में आपात अवकाश - किसी बन्दी को उसके/उसकी पुत्र/पुत्री, उसके माता-पिता

साथ ही साथ उसके/ उसकी पत्नी /पति की माता या पिता की मृत्यु हो जाने की दशा में 15 दिवस की कालावधि की छुट्टी की पात्रता होगी ।

टिप्पणी -

(1) आपात छुट्टी की अवधि की गणना बन्दी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(2) किसी भी बन्दी को किसी वर्ष में विवाह हेतु एक से अवधि आपात छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

नियम 5. छुट्टी की मंजूरी के लिये आवेदन- (क) अधिनियम की धारा 31- क के अधीन बंदियों द्वारा छुट्टी के लिए निवेदन सोमवार को परेड में जेल अंधीक्षक को (जिसे इसमें इसके पश्चात अधीक्षक कहा गया है) विहित प्ररूप "च" में लिखित में किया जाएगा

1. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-56-2011-तीन-जेल दि 23-5-2012 द्वारा प्रतिस्थापित । म. प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनांक 8-6-2012 को प्रकाशित ।

(ख) अधीक्षक छुट्टी के लिए निवेदन करने वाले बन्दी के अभिलेखों का स्वयं परीक्षण करेगा तथा अपना समाधान करेगा कि बन्दी छुट्टी की मंजूरी के लिए शर्तो को पूरा करता है,

(ग) यदि बंदी छुट्टी की शर्तो को पूरा करता हो तो अधीक्षक बंदी के प्रथम निवेदन की रिपोर्ट संबंधित जिले के जहाँ बंदी दोषसिद्धि के पूर्व निवास करता था, जिला मजिस्ट्रेट को करेगा ।

नियम 6. प्रथम छुट्टी के लिये मंजूरी प्राधिकारी- (क) यदि जिला मजिस्ट्रेट का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे समांधान हो जाता है कि छुट्टी की मंजूरी के लिए निवेदन लोकहित का अपाय किए बिना स्वीकार किया जा सकता है, तो वह बंदी के छुट्टी की मंजूरी के लिए प्ररूप “क" में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित वारंट अधीक्षक को देगा, जिला मजिस्ट्रेट वारंट में उन दिनों की संख्या लिखेगा जो उस स्थान को तथा वहां से जहाँ बंदी छुट्टी के दौरान निवास करना प्रस्तावित करता है, अथवा यदि बंदी एक से अधिक स्थानों को जाना प्रस्तावित करता है तो जेल से उस दूरतम स्थान को तथा वही से जहां वह जाना प्रस्तावित करता हो, जाने/आने को यथा संभव सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्राओं के लिए अपेक्षित होंगे । [1]{जिला मजिस्ट्रेट, जेल अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् बंदी की पात्रता के अनुसार समस्त तीनों भाग की छुट्टी मंजूर कर सकेगा ।}

(ख) यदि जिला मजिस्ट्रेट समझे कि बंदी की छुट्टी मंजूर करना लोकहित में अवांछनीय है तो वह अपनी राय अधीक्षक को सूचित करेगा जो बंदी को सूचित करेगा कि उसका निवेदन अस्वीकार कर दिया गया है

[2]{(ग) यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम छुट्टी मंजूर करने के लिए आवेदन को विचारण के पश्चात् निरस्त किया जाता है तो अधीक्षक, जेल द्वारा निरस्तीकरण आदेश प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश के विरूद्ध महानिदेशक, जेल एव सुधारात्मक (करेक्शनल) सेवाएं म. प्र. भोपाल के समक्ष युक्तियुक्त आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी तथा इन नियमों के उपबंधों तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश के औचित्य के बारे में मामले पर विचार करेगा तथा वह तद्नुसार या तो आदेश की पुष्टि करेगा या उसे निरस्त करेगा तथा अपील को स्वीकार कर लेने की दशा में वह छुट्टी स्वीकृत

करने का समुचित आदेश पारित कर सकेगा ।

(घ) किसी बन्दी का यदि प्रथम छुट्टी मंजूर करने का आवेदन इस निमित्त अभिकथित प्रक्रियानुसार जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया गया है और ऐसे आवेदन का विनिश्चय तीन माह की अनुबद्ध कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित आवेदक महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक (करेक्शनल) सेवाएं भोपाल को पश्चात्वर्ती छुट्टी हेतु आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन पर अधीक्षक जेल द्वारा उसी रीति से कार्यवाही की जायेगी जिस प्रकार की पश्चात्वर्ती छुट्टी के लिए कार्यवाही विहित की गई है ।

(ड) यदि महानिदेशक जेल एव सुधारात्मक (करेक्शनल) सेवाएं को सम्बोधित किया गया पश्चात्वर्ती छुट्टी का आवेदन विचार के पश्चात् निरस्त किया जाता है तो ऐसा निरस्तीकरण आदेश प्रापत होने के तीस दिन के भीतर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं के उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को युक्तियुक्त कारणों के आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी और राज्य शासन चाहे तो इस सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकृत कर सकेगा या अस्वीकार कर सकेगा या प्रकरण के निराकरण हेतु महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को विचार हेतु प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर सकेगा ।

1. अधिसूचना क्र. एफ-तीन- 56-2011 -तीन-जेल दि. 23-5-2012 द्वारा प्रतिस्थापित । म प्र. राजपत्र भाग 4 दिनाक 8-6-2012 को प्रकाशित |
2. अधिसूचना क्र. एफ=तीन-5-2009-तीन-जेल दि. 10-9-2009 द्वारा खंड (ग), (घ), (ड), अंत:स्थापित |

नियम 7. छुट्टी के लिए किसी बंदी के निवेदन की परीक्षा को सभी प्रक्रमों पर अत्यावश्यक माना जाएगा और बंदी के निवेदन पर दिए गए आदेश उसे यथासंभव शीघ्र संसूचित किए जायेगे ।

नियम 8. पश्चात्वती छुट्टी के लिये मंजूरी प्राधिकारी- (क) जब एक बार बंदी छुट्टी का उपयोग कर लेता है तो [1]{महानिदेशक जेल एव सुधारात्मक संवाएं} (जिसे इसमें इसके पश्चात् महानिरीक्षक कहा गया है) नियम 4 में अधिकथित शर्तो को पूरा करने के बाद नियमानुसार छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम होगा ।

(ख) बंदी द्वारा पश्चात्वर्ती छुट्टी के लिए निवेदन उसी रीति में किया जायेगा जिसमें प्रथम छुट्टी के लिए निवेदन किया गया हो ।

[2]{(ग) (एक) यदि बंदी के अभिलेखों की परीक्षा से यह प्रकट हो कि बंदी अस्थाई छुट्टी का पात्र है तो उसका मुचलका/ प्रतिभूतिबन्धपत्र/ सालवेन्सी तथा शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा तथा उक्त अभिलेख सत्यापन के बाद अधीक्षक को वापिस भेजे जाएंगे ।

(दो) जेल अधीक्षक, बन्दी के पश्चात्वर्ती छुट्टी की दशा में सम्बन्धित पुलिस थाने के थाना प्रभारी से बन्दी के पूर्व छुट्टी के दौरान बन्दी द्वारा छुट्टी अवधि में दी गई स्वतन्त्रता का दुरूपयोग तो नहीं किया इस बाबत जानकारी प्राप्त करेगा ।

(तीन) जेल अधीक्षक, जेल में पदस्थ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी से बन्दी के कृषि वर्ष के प्रथम छुट्टी पर प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त करेगा उसके पश्चात् मामला [1]{महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं} को प्रस्तुत किया जावेगा ।

(चार) [1]{महानिदेशक, जेल एव सुधारात्मक सेवाएं} अधीक्षक जेल से प्राप्त रिपोर्ट पर उस [3]{""}, वर्ष में उसकी पात्रता अनुसार सभी [4]{तीनों}, छुट्टी स्वीकृत कर सकेगा ।

(घ) जेल अधीक्षक से मामला प्राप्त होने पर [1]{महानिदेशक, जेल एव सुधारात्मक संवाएं} ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह आवश्यक समझे

(ड) बंदी को, जिसकी छुट्टी [1]{महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक संवाएं} द्वारा मजूर की गई प्ररूप "ख" मे छोडे जाने का आदेश दिया जाएगा ।

नियम 9 छुट्टी पर छोडें जाने की शर्ते - छुटटी के लिए बन्दी की पात्रता के संबंध में समाधान हो जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ऐसे बन्दी को निम्नलिखित शर्तो पर छुट्टी पर छोडेगा -

---

1. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-56-2011- तीन-जेल दि. 23-5-2012 द्वारा शब्द "जेल महानिरीक्षक" के स्थान प्रतिस्थापित । म. प्र राजपत्र भाग 4 में दिनांक 8-6-2012 को प्रकाशित |
2. अधिसूचना क्र. एफ-तीनं-5-2009-तीन-जेल 335 दि. 5-2-2009 द्वारा नियम 4क, 4ख, 4ग एवं नियम 4घ प्रतिस्थापित । म. प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनांक 13-3-2009 को प्रकाशित ।
3. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-56-20111 तीन-जेल दि. 23-5-2012 द्वारा शब्द "कृषि" विलोपित । म. प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनांक 8-6-2012 को प्रकाशित ।
4. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-56-20111 तीन-जेल दि 23-5-2012 द्वारा शब्द "चारों" के स्थान पर प्रतिस्थापित म. प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनांक 8-6-2012 को प्रकाशित ।
5. अधिसूचना क्र.क एफ-तीन–5-2009-तीन-जेल 335 दि. 5-2-2009 द्वारा नियम 4क, 4ख, 4ग एवं नियम 4घ अन्तःस्थापित । म प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनाक 13-3-2009 को प्रकाशित ।

(1) वह अपनी छुट्टी का कालावधि के दौरान, अपने छुट्टी आवेदन में उल्लेखित स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर नहीं जाएगा ।

(2) वह अपनी छुटटी के दौरान न तो किसी भी प्रकार का अपराध करेगा ओर न ही ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे लोकहित प्रभावित हो ।

(3) अपने छुट्टी की समाप्ति पर वह स्वयं उसी जेल पर उपस्थित होगा जहां से उसको छोड़ा गया था, परन्तु बीमारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ऐसा बन्दी स्वयं किसी अन्य नजदीक के पुलिस में उचित आधार के साथ समर्पण कर सकेगा ।

नोट - परन्तु कोई भी बन्दी इन नियमों के अधीन प्रदत्त की गई छुट्टी का प्राधिकारपूर्वक दावा नहीं कर सकेगा ।}

नियम 10. छुट्टी पर छोड़े जाने के लिये प्रक्रिया- (क) जिला मजिस्ट्रेट या महानिरीक्षक से वारंट/छुट्टी की मंजूरी का आदेश प्राप्त होने पर, अधीक्षक बन्दी से परामर्श करके उसे छोड़ने की ऐसी तारीख निश्चित करेगा, जो कि वारंट/आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन से अधिक बाद की नहीं होगी, किसी महिला बन्दी के मामले में छोडने की तारीख इस प्रकार निश्चित की जायेगी कि उसे उस जेल को, जहाँ से उसे छोड़ा जाना हो, स्थानांतरित करने के लिए समय अनुज्ञात किया जा सके, यदि वह

बन्दी, जिसकी छुट्टी मंजूर की गई है, बीमार हो तो अधीक्षक उसे छोड़ने की तारीख उतने समय के लिए स्थगित कर सकेगा जितना कि वह बन्दी के स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक समझे ।

[1]{परन्तु जमानतदार द्वारा बन्दी को दस दिन के भीतर अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए स्वयं उपस्थित होने में असमर्थता की दशा में, जेल अधीक्षक जमानतदार की अभिरक्षा पर बन्दी को छोडे जाने की अवधि को और दस दिन तक की कालावधि के लिए बढ़ा सकता है ।

(ख) [2]{*****}

(ग) छुट्टी के समय वस्त्रों तथा बिस्तर का दिया जाना-किसी बन्दी को जिसके पास निजी वस्त्र तथा बिस्तर न हों और वह उन्हें खरीदने में असमर्थ हो ऋण पर एक कंबल तथा अचिन्हित जेल वस्त्र, जिसमें पुरूष बंदी के लिए एक कुर्त्ता, एक टोपी और एक जोडी पायजामा तथा महिला बन्दी के लिए एक साड़ी तथा कुर्ता सम्मिलित होगा, दिया जायेगा ।

(घ) छोड़े जाने का प्रमाण-पत्र-बन्दी को छोड़े जाने का एक प्रमाण-पत्र हिन्दी में भी दिया जायेगा जिसमें उसे छोडने की तारीख होगी, वह तारीख होगी जब उसे जेल लौटना हो, उस स्थान या उन स्थानों का पता/के पते होगा/होंगे, जहां उसकी छुट्टी के दौरान जाने की अनुमति दी गई हो, बन्दी के पहचान के तीन प्रमुख चिन्हों का वर्णन होगा तथा उसक बाएं हाथ के अंगूठे की छाप होगी छोड़े जाने के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जेल अभिलेखों में रखी जायेगी ।

(ड) बन्दी को, जेल छोड़ने के अधीक्षक की उपस्थिति में, यह सूचित किया जायेगा कि उसे तारीख को जेल लौटना है और यह सूचित करना चाहिए कि यदि वह ऐसा न करे तो उसके परिणाम क्या होंगे ।

(च) जब कभी किसी बंदी को छुट्टी पर छोडा जाता है, तब उसे छोडे जाने की प्रज्ञापना पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित थाना अधिकारी को तुरन्त दी जाएगी । पुलिस अधीक्षक बंदी की छुट्टी समाप्ति के तत्काल पश्चात् यह रिपोर्ट करेगा कि छुट्टी का कालावधि के दौरान बन्दी का आचरण कैसा था, यदि बंदी के छुट्टी से लौट आने की तारीख से दो माह की कालावधि के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो यह अवधारित किया जायेगा कि बंदी के विरूद्ध कोई बात नहीं है ।

1. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-5-2009-तीन-जेल 335 दि. 5-2-2009 द्वारा परन्तुक अन्तःस्थापित । म. प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनांक 13-3-2009 को प्रकाशित ।
2. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-5-2009-तीन-जेल 335 दि. 5-2-2009 द्वारा नियम 10(ख) विलोपित । म. प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनांक 13-3-2009 को प्रकाशित ।

[1]{परन्तु परन्तु यदि जेल अधीक्षक की जानकारी में आता है कि छुट्टी की अवधि के दौरान, बंदी किसी विधि विरूद्ध आचरण में अन्तर्ग्रस्त रहा है, तो इस बारे में अपना समाधान करने के लिए वह संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से इसकी पुष्टि करवाएगा |}

[2]**{नियम 11. शर्तो को भंग करने पर बन्दी की गिरफ्तारी-** (1) यदि कोई बन्दी उसकी वापसी के लिए नियत तारीख की शाम तक स्वयं उपस्थित नहीं होता है वह जेल से फरार हुआ बन्दी समझा जाएगा उसके विरूद्ध पुलिस स्टेशन में जिसके क्षेत्राधिकार में वह जेल स्थित है (जहां बन्दी को समर्पण करना था) प्रथम सूचना प्रतिवेदन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ओर ऐसा थाना प्रभारी उस फरार बन्दी के विरूद्ध न्यायालय में चालान करेगा । थाना प्रभारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं 83 में उल्लिखित कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होगा तथा ऐसी कार्यवाही की जानकारी जेल अधीक्षक को उसके द्वारा भेजी जाएगी ।

(2) यदि मध्यप्रदेश बन्दी छुट्टी नियम, 1989 के नियम 11 के अधीन अधीक्षक से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ऐसे अपराध की दशा में सम्बन्धित बन्दी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज करने में द्वारा उपेक्षा की गई हो तो सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक दण्ड संहिता की धारा 221 के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर जेल महानिरीक्षक को सूचित करेंगे ।

(3) छटटी का कालावधि के दौरान बन्दी के फरार होने की स्थिति में, उसके जमानतदार के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा ।

(4) बन्दी के छुट्टी से फरार होने के स्थिति में, जेल अधीक्षक बन्दी के जमानतदार द्वारा दी गई जमानत जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार के न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करेगा जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा सम्पति की कर्की की आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।}

नियम 12. अधिक ठहरने के लिए शाक्ति- यदि कोई बन्दी उसकी वापसी के लिए नियत तारीख के पश्चात् स्वेच्छया जेल लौटता है तो उसे जेल में प्रवेश दिया जायेगा और बन्दी की वापसी और विलम्ब के कारण तत्काल उस जिले के, जहाँ जेल स्थित हो जिला मजिस्ट्रेट को उसके आदेशार्थ, कि क्या बन्दी को अभियोजित किया जाए, रिपोर्ट करेगा, यदि यह विचार नहीं किया जाता कि बन्दी को अभियोजित किया जाए तो अधीक्षक को उसकी जांच करनी चाहिए और वह अच्छे और पर्याप्त कारणों से निम्नलिखित दण्डों में से कोई एक दण्ड दे सकेगा-

(क) औपचारिक चेतावनी,

(ख) साक्षात्कार देने, पत्र प्राप्त करने और भोजन के विशेषाधिकारों का तीन माह से अनधिक कालावधि के लिए समपहरण,

(ग) उच्चतम श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में अपकर्ष,

(घ) छुट्टी के उपरान्त अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के प्रत्येक दिन के लिए परिहार के पांच दिनों का समपहरण, जो कि दण्डादेश की अनवसित कालावधि सहित उसके दंडादेश की कुल कालावधि से अधिक नहीं होगा ।

---

1. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-56-2011 -तीन-जेल दि. 23-5-2012 द्वारा अन्तःस्थापित । म. प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनांक 8-6-2012 को प्रकाशित |
2. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-5-2009-तीन-जेल 335 दि. 5-2-2009 द्वारा नियम 11 विलोपित |
   म.प्र. राजपत्र 4 में दिनांक 13-3-2009 को प्रकाशित | विलोपन के पूर्व यह नियम निम्नानुसार था |

नियम 11. शर्तो को भंग करने पर बन्दी की गिरफ्तारी- यदि कोई बन्दी उसकी वापसी के लिए नियत तारीख की शाम को तालाबन्द होने के पूर्व जेल वापस न लौटे तो यह समझा जायेगा कि वह निकल भागा है तथा अंधीक्षक द्वारा उस जिले के, जहां जेल स्थित हो, जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक को ऐसे निकल भागने की प्रज्ञापना बन्दी की विवरण तालिका, उसके सामान्य पते और उन स्थानों के पते जहां वह छट्टी के दौरान जाना चाहता था और ऐसी अन्य उपलब्ध जानकारी के साथ, जिससे उसे पकड़ने में सुविधा हो तत्काल दी जायेगी और जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक से बंदी को गिरफ्तार करने का निवेदन किया जायेगा, यदि बंदी उस जिले से, जिसमें स्थित हो, किसी भिन्न जिले का हो तों उस जिले जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक को भी ऐसी ही प्रज्ञापना दी जाएगी

नियम 13. महिला बन्दी को, जिसे छुट्टी मंजूर किया जाना हो, उस स्थान के, जहां वह अपनी छुट्टी के दौरान जाना चाहती हो, निकटतम जेल को अन्तरित किया जायेगा, उसे उस जेल से छोडा जायेगा और वह उसी जेल को लौटेगी, यदि वह ऐसा चाहे तो उस जेल का अधीक्षक, जहां से वह स्थानांतरित की गई हो, उसके संबंधियों को, उसके छोड़े जाने की तारीख और उसे किसी जेल से छोड़ा

जाना है, प्रज्ञापित करेगा ।

नियम 14. जैसे ही अधीक्षक को यह रिपोर्ट प्राप्त हो कि बन्दी दुर्व्यवहार करता है तो वह तुरन्त बन्दी को वापस बुला सकता है, इस प्रयोजन के लिये अधीक्षक, पुलिस को लिखेगा जो इस विषय में तत्काल कार्रवाई कर बन्दी को पेश करेगी ।

नियम 15. आपात छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी- [1]{(क) जिला मजिस्ट्रेट आपात छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, किन्तु यदि कोई बन्दी पूर्व में जेल महानिरीक्षक द्वारा दी गई सामान्य छुट्टी का उपभोग कर चुका हो तो जेल महानिरीक्षक आपात छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

(ख) आपात छुट्टी की कालावधि-आपात छुट्टी की कालावधि मृत्यु के मामले में 15 दिन तथा विवाह के मामले में 10 दिन से अधिक नहीं होगी, जिसमें यात्रा के लिए अपेक्षित समय सम्मिलित नहीं होगा । छोड़े जाने पर बन्दी को इन नियमों के नियम 10 के खण्ड (घ) में अधिकथित रीति से एक छोड़े जाने का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा ।

(ग) आपात छुट्टी जाने की पात्रता-जो बन्दी छुट्टी पर छोड़े जाने के पात्र हों उन्हें साधारणत: आपात छुट्टी का पात्र समझा जाना चाहिए ।

(घ) आपात छुट्टी के लिए याचिका आवेदन-आपात छुट्टी का आवेदन उस जेल के, जहां बन्दी परिरूद्ध हो, अधीक्षक को बन्दी द्वारा या उसके संबंधी द्वारा संबोधित किया जायेगा । प्रत्येक आवेदन के साथ स्थानीय तहसीलदार का एक ऐसा प्रमाण -पत्र होगा जिसमें आपात छुट्टी के आवेदन में कथित आधार का सही होना प्रमाणित किया गया हो तथा दो प्रतिभुओं नामों का एक विवरण होगा जिसके साथ प्रतिभुओं की शोधन क्षमता के संबंध में तहसीलदार का प्रमाण-पत्र हो, प्रतिभूति की रकम, आपात छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की जायेगी ।

(ड) बंध-पत्रों का निष्पादन-आपात छुट्टी पर जाने के पूर्व प्ररूप “घ" तथा "ड" में एक प्रतिभूति बंध-पत्र तथा एक व्यक्तिगत मुचलका निष्पादित किया जायेगा । ऐसे मामले में जहां प्रतिभू प्रस्तुत करने से छूट दी गई हो वहां बन्दी को उसके स्वयं के मुचलके पर छोड़ा जाएगा । प्रतिभूति बध-पत्र किसी तहसीलदार के समक्ष निष्पादित किया जायेगा जो कि उसे सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित कर तथा उस पर अपनी शासकीय मुद्रा अंकित कर अधीक्षक को भेजेगा, व्यक्तिगत मुचलका अधीक्षक के समक्ष निष्पादित किया जायेगा ।

---

1. अधिसूचना क्र. एफ-तीन-5-2009-तीन-जेल 335 दि. 5-2-2009 द्वारा नियम 15 (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित । म. प्र. राजपत्र भाग 4 में दिनांक 13-3-2009 को प्रकाशित । पूर्व में यह नियम निमानुसार था -

(क) जिला मजिस्ट्रेट आपात छट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम होगा, किन्तु यदि कोई बन्दी पूर्व मे छुट्टी का उपभोग कर चुका हो तो अधीक्षक आपात छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम होगा । वारंट/आपात छुट्टी का आदेश फार्म-ग मे होगा ।

(च) यात्रा व्यय-आपात छट्टी पर जाने वाले बन्दी को, जो अपने व्ययों को पूरा न कर सकता हो और जिसके पास जेल में किसी भी लेखे में उसके नाम पर कोई भी धन राशि न हो आने-जाने के यात्रा व्यय की पूर्ति सरकार द्वारा दी जायेगी, इस नियम के प्रयोजन के लिए जेल में बन्दी द्वारा उपदान या

मजदूरी के रूप में अर्जित किसी भी धनराशि को उसके नाम पर जमा धनराशि माना जायेगा ।

(छ) लम्बित मामले-किसी भी ऐसे बन्दी को जिसके विरूद्ध विचारणार्थ कोई अन्य मामला लंबित हो, आपात छुट्टी नहीं दी जायेगी ।

(ज) आपात छुट्टी पर छोड़े जाने का समय-आपात छुट्टी पर छोड़ा जाना किसी भी दिन सूर्योदय के पश्चात् तथा तालाबन्द होने के पूर्व प्रभावी होगी । रविवारों तथा अन्य अवकाशों पर बंदियों के छोडे जाने को निवारित करने वाला नियम आपात छुट्टी पर छोड़े जाने को लागू नहीं होगा ।

(झ) वापस बुलाने की शक्ति-अधीक्षक को जैसे ही यह रिपोर्ट प्राप्त होता है कि बन्दी दुर्व्यवहार करता है तो वह तुरन्त बन्दी को वापस बुला सकता है । इस प्रयोजन के लिए अधीक्षक पुलिस को सम्बोधित करेगा जो कि इस विषय में तत्काल कार्यवाही करेगी और बन्दी को पेश करेगी ।

(ण) यदि आपात छुट्टी पर छोड़ा गया कोई बन्दी नियत तारीख को जेल में नहीं लौटता है या विलम्ब से अभ्यर्पण करता है या किन्हीं भी शर्तो का अतिक्रमण करता है तो उसके विरूद्ध पूर्वगामी नियम 11 तथा 12 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

नियम 16. मध्यप्रदेश के न्यायालयों द्वारा दंडादिष्ट तथा भारत के अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में दंड भुगत रहे बंदियों के मामले में छुट्टी तथा आपात छुट्टी यथास्थिति उसके निवास के जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस राज्य के जेल महानिरीक्षक तथा जेल अधीक्षक द्वारा पूर्वगामी नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार मंजूर की जा सकेगी ।

नियम 17. इन नियमो के तत्काल पूर्व उन बंदियों पर, जिन पर ये नियम लागू होते हैं, प्रवृत्त कोई भी तत्स्थानी नियम एतदद्वारा, निरसित किए जाते हैं, परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिए गए किसी भी आदेश या की गई किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही है ।

नियम 18. शंकाओं का निराकरण- यदि इन नियमों के किसी भी उपबंध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई भी शंका उद्भूत हो तो मामला सरकार को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा ।

नियम 19. नियमों को शिथिल करने की शक्ति- सरकार इन नियमों के इसमें इसके पूर्व उल्लिखित किसी भी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगी या ऐसा विशेष आदेश जारी कर सकेगी जैसा वह उचित समझे ।

प्ररूप "क"

{नियम 6 का उपनियम (क) देखिए}

बन्दी अधिनियम, 1900 की धारा 31- क के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी को मंजूर की गई छुट्टी पर छोड़े जाने का वारंट,

प्रति,

अधीक्षक,

--------जेल

चूंकि-----(बन्दी का नाम तथा विवरण) ने जो कि वर्तमान में ------द्वारा हस्ताक्षरित वारंट------- तारीख-----200 के अधीन -------जेल------में परिरूद्ध है, अपनी छुट्टी के लिए आवेदन किया है,

और चूंकि, मैं, जिला मजिस्ट्रेट छोडने वाला प्राधिकारी होने के नाते, सम्यक् रूप से संतुष्ट हूँ कि लोकहित का उपाए किए बिना आवेदन मंजूर किया जा सकता है ।

अतएव, मैं----------जिला मजिस्ट्रेट----------एतदद्वारा आपको प्राधिकृत करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप उक्त बन्दी को, नीचे विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन रहते हुए----------दिन की कालावधि के लिए अभिरक्षा से छुट्टी पर छोड़ दें:-

(एक) बन्दी अपनी छुट्टी की कालावधि के दौरान---------- (ग्राम या नगर) ---------- तहसील----------जिला----------में निवास करेगा/करेगी । उक्त कालावधि के दौरान वह ---------- भी जा सकेगा/सकेगी और वह जिला मजिस्ट्रेट----------की पूर्व अनुज्ञा, अभिप्राप्त किए बिना उक्त कालावधि के दौरान किसी भी अन्य स्थान को नहीं जाएगा/जाएगी ।

(दो) बन्दी, उक्त कालावधि की समाप्ति पर, जेल के अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होगा/होगी ।

(तीन) बन्दी, अपने छोड़े जाने के पूर्व नीचे यथा वर्णित प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा/करेगी ।

प्रतिभूति के ब्यौरे

2. उस स्थान का वहां से, जहां बन्दी छुट्टी पर अपने छोड़े जाने के दौरान निवास करना चाहता हो/चाहती हो या जाना प्रस्तावित करता है/करती है, यथासाध्य सबसे छोटे मार्ग द्वारा जाने/आने की यात्राओं के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या----------(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रविष्टि की जाए)

आज की तारीख----------को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिया गया ।

हस्ताक्षर

मुद्रा

जिला मजिस्ट्रेट तथा
छोड़ने वाला प्राधिकारी

क्रमांक---------- तारीख---------200----------

जिला मजिस्ट्रेट----------को यह प्रज्ञाप्ति करते हुए लौटाया जाता है कि उक्त बन्दी को जेल से तारीख----------को छोड़ा गया था और वह तारीख----------को जेल में वापस लौट आया/आई है ।

जेल अधीक्षक

प्ररूप "ख"

{नियम 8 का उपनियम (ड) देखिए}

बंदी अधिनियम, 1900 की धारा 31- क के अधीन जेल महानिरीक्षक द्वारा बंदी को मंजूर की गई छुट्टी पर छोड़ने का आदेश ।

प्रति,

अधीक्षक,

----------जेल----------

चूंकि----------(बंदी का नाम तथा विवरण) ने, जो कि वर्तमान में----------द्वारा हस्ताक्षरित वारंट तारीख----------के अधीन---------- जेल----------में परिरूद्ध है, अपनी छुट्टी के लिए आवेदन किया है;

और चूंकि, मैं, जेल महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल, छोड़ने वाला प्राधिकारी होने के नाते सम्यक्रूप से सतुष्ट हूँ कि लोकहित का उपाय किये बिना आवेदन मंजूर किया जा सकता है;

अतएव, मैं----------जेल महानिरीक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल, एतदद्वारा आपको प्राधिकृत करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप उक्त बंदी को, नीचे विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन रहते हुए----------दिन की कालावधि के लिये अभिरक्षा से छुट्टी पर छोड दें:-

(एक) बंदी अपनी छुट्टी की कालावधि के दौरान----------ग्राम या नगर----------तहसील----------जिला में निवास करेगा/करेगी, उक्त कालावधि के दौरान वह----------भी जा सकेगा/सकेगी और वह अधोहस्ताक्षरकर्त्ता की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना उक्त कालावधि के दौरान किसी भी अन्य स्थान को नहीं जायेगा-जायेगी ।

(दो) उक्त कालावधि की समाप्ति पर बंदी, जेल अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होगा/होगी ।

(तीन) अपने छोड़े जाने के पूर्व नीचे यथावर्णित प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा/करेगी (प्रतिभूति के ब्यौरे) ।

2. उस स्थान को/से जहां बंदी छट्टी पर अपने छोड़े जाने के दौरान निवास करना चाहता हो/चाहती हो, या जाना प्रस्तावित करता हैं/करती है यथासाध्य सबसे छोटे मार्ग द्वारा जाने/आने की यात्राओं के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या---------- (जेल महानिरीक्षक मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्रविष्टि की जाए) ।

आज तारीख--------को मेरे हस्ताक्षर तथा इस कार्यालय की मुद्रा से दिया गया ।

हस्ताक्षर

जेल महानिरीक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल

मुद्रा---------- तथा छोडने वाला प्राधिकारी

क्रमांक---------- तारीख---------200----------

जेल महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल को यह प्रज्ञापित करते हुए लौटाया जाए कि उक्त बंदी को----------जेल से तारीख----------को छोड़ा गया ।

हस्ताक्षर

जेल अधीक्षक

प्ररूप "ग"

{नियम 15 का उपनियम (क) देखिए}

बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) की धारा 31- ख के अधीन आपात छुट्टी का वारंट/आदेश

प्रति,

अधीक्षक,

----------जेल----------

चूंकि---------- (बंदी का नाम तथा विवरण) ने, जो कि वर्तमान में----------द्वारा हस्ताक्षरित वारंट तारीख----------के अधीन---------- जेल----------में परिरूद्ध है, अपनी छुट्टी के लिए आवेदन किया है;

और चूंकि, मैं, जिला मजिस्ट्रेट/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला जेल---------- निर्मुक्ति अधिकारी होने के नाते सम्यकरूप से संतुष्ट हूँ कि लोकहित का अपाय किये बिना आवेदन मंजूर किया जा सकता है;

अतएव, मैं जिला मजिस्ट्रेट/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला जेल, एतदद्वारा, आपको प्राधिकृत करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप उक्त बंदी को, नीचे विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन रहते हुए----------दिन की कालावधि के लिये अभिरक्षा से आपात छुट्टी पर निर्मुक्त करें:-

(एक) बंदी अपनी आपात छुट्टी की कालावधि के दौरान ग्राम या नगर---------- तहसील.....

जिला में निवास करेगा/करेगी,

(दो) वह उक्त कालावधि की समाप्ति पर जेल अधीक्षक को रिपोर्ट करेगा/ करेगी ।

(तीन) बंदी अपनी निर्मुक्ति के पूर्व नीचे यथावर्णित प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा/करेगी (प्रतिभूति के ब्यौरे) ।

2. उस स्थान को/से जहां बंदी आपात छुट्टी के दौरान निवास करना चाहता चाहती हो या जाना प्रस्तावित करता है/करती है यथासाध्य सबसे छोटे मार्ग द्वारा जाने/ आने की यात्राओं के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या--------- (जिला मजिस्ट्रेट/जेल अधीक्षक द्वारा प्रविष्टि की जाए) ।

आज तारीख----------को मेरे हस्ताक्षर तथा मुद्रा से दिया गया ।

हस्ताक्षर

क्रमांक ..... जिला मजिस्ट्रेट/जेल अधीक्षक

तथा छोड़ने वाला प्राधिकारी

तारीख------- 200-------

----------(छोड़ने वाला प्राधिकारी का नाम) को यह प्रज्ञापित करते हुए लौटाया जाए कि उक्त बंदी को जेल से---------- को छोड़ा गया था और वह तारीख----------को जेल में वापस लौट आया/आयी है ।

जेल अधीक्षक

प्ररूप "घ"

{उपनियम 15 (ड) देखिए}

मैं----------निवासी----------,एतदद्वारा, स्वयं को बंदी क्रमांक----------के लिए प्रतिभू घोषित करता हूँ और इस बात की प्रत्याभूति देता हूँ कि वह अनुसूची 'क' में वर्णित छुट्टी/आपात छुट्टी पर छोड़े जाने की शर्तो का सम्यक् रूप से पालन करेगा?करेगी और वह छुट्टी/आपात अवकाश पर छोड़े जाने की कालावधि की समाप्ति पर ----------मैं, अधीक्षक----------जेल कें समक्ष स्वयं उपस्थित होगा/होगी और, यदि वह ऐसा न करे तो मैं एतदद्वारा स्वयं को आबद्ध करता हूँ कि मैं मंध्यप्रदेश शासन का ----------रूपये की राशि का भुगतान करूंगा/करूंगी ।

और मैं यह करार करती/करता हूँ कि मध्यप्रदेश सरकार मुझसे, किन्हीं भी अन्य सरकार अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त राशि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल कर सकेगी ।

और मैं यह करार करता हूँ कि समय में कोई भी वृद्धि बंदी को दी जाने पर, मैं उक्त रकम के भुगतान के दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाऊंगा ।

उपर्युक्त प्रतिभू द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में आज तारीख----------को हस्ताक्षरित ।

1. ----------
2. ---------- प्रतिभू के हस्ताक्षर

प्ररूप 'ड'

{उपनियम 15 (ड) देखिए}

मुचलका

चूंकि, मैं----------नाम निवास----------(स्थान)---------- वर्षो की अवधि का कारावास भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया गया हूँ ।

और चूंकि जिला मजिस्ट्रेट/जेल महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चाहा गया है कि मुझे ----------से प्रारम्भ होने वाली तथा---------कीं समाप्त होने वाली----------दिन की कालावधि के लिए निम्नलिखित तारीख----------को मेरी उपस्थिति के लिए वैयक्तिक मुचलका निषादित किए जाने की शर्त पर छुट्टी/आपात छुट्टी पर छोड़ा जाए, अर्थात्:-

मैं, मध्यप्रदेश सरकार से एतदद्वारा करार करता हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता हूँ कि संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तो का पालन करूंगा तथा यह और करार करता हूँ कि निम्नलिखित तारीख अर्थात----------को ---------- बजे----------के अधीक्षक के समक्ष स्वयं को हाजिर तथा समर्पित करूंगा और मैं स्वयं को आबद्ध करता हूँ कि----------रूपये की राशि मध्यप्रदेश सरकार को दूंगा तथा करार करता हूँ कि मेरे कोई अन्य अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यप्रदेश सरकार उक्त राशि मुझसे भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगी ।

आज तारीख-सन् 200---------- को हस्ताक्षर किये ।

बंदी के हस्ताक्षर

प्ररूप 'च'

{नियम 5 (क) देखिए}

छुट्टी/आपात पर निर्मुक्ति के लिए आवेदन पत्र का प्ररूप

प्रति,

अधीक्षक,

केन्द्रीय/जिला/उप जेल

विषय:- मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम 1989 के अधीन छुट्टी/आपात छुट्टी मंजूर करने के लिए निवेदन

महोदय,

निवेदन है कि मुझे ---------- के लिए----------से----------तक दिन की कालावधि की छुट्टी/आपात छुट्टी मंजूर करने की कृपा करें, छुट्टी की कालावधि के दौरान मैं निम्नलिखित स्थानों को जाऊंगा । मैं एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूँ कि मैं नीचे उल्लिखित स्थानों से भिन्न अन्य किन्हीं भी स्थानों को नहीं जाऊंगा:-

जाने के प्रस्तावित स्थान

1. ग्राम----------डाकखाना----------थाना----------जिला----------
2. ----------
3. ----------
4. ----------

कल्याण अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए गए ।

बंदी के हस्ताक्षर

(जेल कार्यालय के लिए)

बन्दी क्रमांक----------नाम----------आत्मज----------निवासी---------- अपराध की धारा----------के लिए दण्डादिष्ट, दण्डादेश की तारीख----------दण्डादेश देने वाले न्यायालय का नाम----------पूर्व में ली गई छुट्टी/आपात छुट्टी, यदि कोई हो---------- वर्ष----------माह----------दिन को गए कुल दण्डादेश----------वर्ष----------माह तक अर्जित परिहार पर भुगते गए कुल दण्डादेश -------अवशेष दण्डादेश----------जेल में बन्दी का आचरण----------

अधीक्षक,

जेल----------

कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला/उप जेल----------

क्रमांक----------

दिनांक----------

सिद्धदोष व्यक्ति----------आत्मज----------का आवेदन पत्र मूलत:---------- (1) जिला मजिस्ट्रेट, जिला----------को, (2) जेल महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल को. आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित किया जाता है, प्रश्नास्पद बन्दी को छुट्टी/आपात छुट्टी की पात्रता है । उसके छुट्टी/आपात छुट्टी के मामले की सिफारिश की जाती है ।

अधीक्षक

केन्द्रीय/जिला/उप जेल